

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यय के अनुमान 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मदों¹ के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखों पर व्यय को भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में, हरियाणा राज्य सरकार ने 47 मौजूदा बजटीय अनुदान मांगों को 20 बजटीय अनुदान मांगों में इकट्ठा करके बजटीय प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। इस विलय के परिणामस्वरूप कई विभागों के साथ-साथ इन विभागों के कई मुख्य शीर्षों को एक अनुदान के दायरे में लाया गया है, जो वित्त विभाग को विनियोग की एक इकाई, जहां बचत का अनुमान है, से अनुदान के भीतर निधियों को दूसरी इकाई में अंतरित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जहां अनुदान/विनियोग से अतिरिक्त संवितरण के जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का नियमितीकरण अपेक्षित होता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, किसी भी अनुदान एवं विनियोग (पैरा 3.3.6) के अंतर्गत अधिक संवितरण का कोई मामला नहीं था। **चार्ट 3.1** में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।

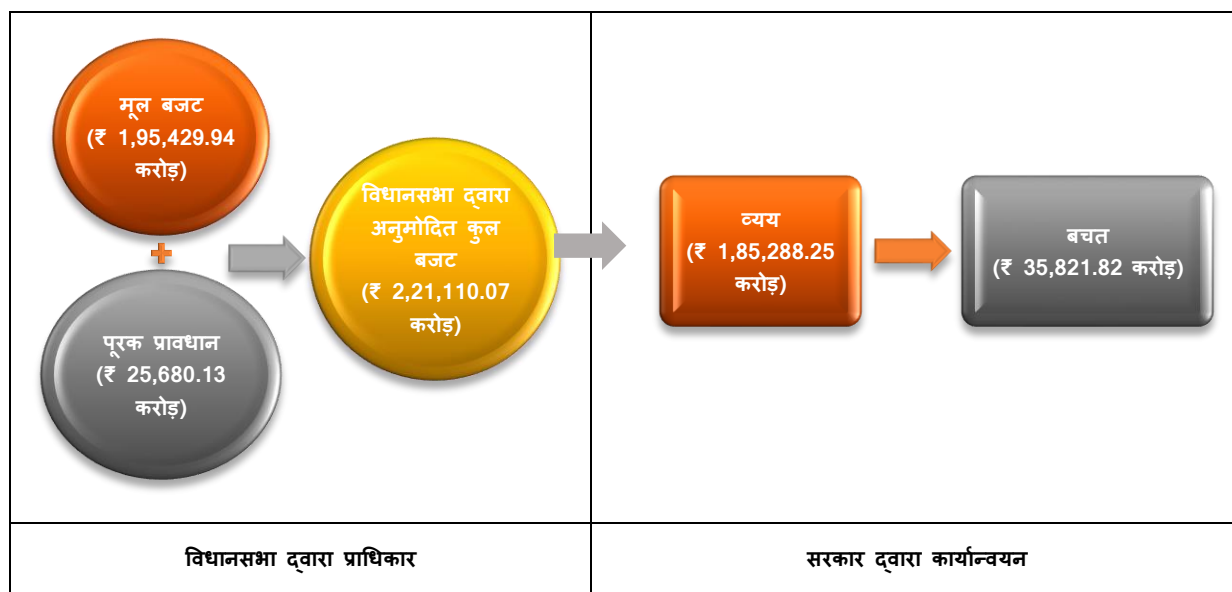
¹ **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण



बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: 2022-23 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान



स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोग लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

3.1.1 सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन

हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर नीति नियोजन में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को शामिल किया है। इसने वित्तीय वर्ष 2018-19 से इन लक्ष्यों के लिए अपने बजटीय आबंटन का विस्तृत मूल्यांकन किया। इसने सतत विकास लक्ष्यों को बजटीय आबंटन के साथ जोड़ दिया है।

(I) लैंगिक बजटिंग

लैंगिक बजटिंग का संबंध कानून, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों; संसाधनों के आबंटन; कार्यान्वयन; व्यय की ट्रैकिंग, लेखापरीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन के लिंगानुकूल निर्माण से है। यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों को अलग-अलग लिंग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कुशलतापूर्वक एकत्र और खर्च किया जाए। लैंगिक बजट महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं है; न ही उनका तात्पर्य यह है कि निधियों को पुरुषों और महिलाओं के लिए आधे-आधे में विभाजित किया जाना चाहिए या बजट को आधे-आधे में विभाजित किया जाना चाहिए। वे सरकार के बजट को विभिन्न लिंगों पर इसके अलग-अलग प्रभाव के अनुसार अलग-अलग करने और लिंग अंतर को कम करने के लिए आबंटन को दोबारा प्राथमिकता देने का प्रयास हैं।

हरियाणा राज्य में कोई लैंगिक बजटिंग नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने अपने बजट के साथ सतत विकास लक्ष्य-5 लैंगिक समानता को जोड़ दिया है। लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय के प्रमुख केंद्र बिंदु के क्षेत्र (फोकस एरिया) निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी), लाडली (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना), अपनी बेटियां अपना धन जिसका नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) कर दिया गया है, अपनी बेटियां अपना धन जिसका नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) कर दिया गया है के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हैं।

सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत 13 विभिन्न विभागों द्वारा 70 योजनाएं/कार्यक्रम लागू किए गए थे। इन 70 योजनाओं में से, राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित 57 योजनाओं के संबंध में ₹ 1,884.54 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,577.28 करोड़ (कुल प्रावधान का 83.69 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई थी। 2022-23 में लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत विभागवार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: 2022-23 में लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम (योजनाओं की संख्या)	बजट प्रावधान	व्यय
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (5)	1,077.54	1,013.86
2	महिला एवं बाल विकास (29)	524.92	399.97
3	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (4)	91.22	63.89
4	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा (1)	0.05	0.02
5	स्वास्थ्य (4)	2.47	1.87
6	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (1)	0.10	0.00
7	शिक्षा (उच्च) (3)	2.10	1.50
8	शिक्षा (माध्यमिक) (5)	12.76	5.95
9	परिवार कल्याण (11)	19.88	10.63
10	उच्च न्यायालय (1)	30.00	0.00
11	पुलिस (4)	101.00	61.90
12	सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग (1)	20.00	15.94
13	ग्रामीण विकास (1)	2.50	1.75
	कुल (70 योजनाएं)	1,884.54	1,577.28

स्रोत: सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2022-23 और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 13 विभागों में से चार विभागों अर्थात् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, पुलिस और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ने लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट अनुमान 2022-23 में 95 प्रतिशत से अधिक का अंशदान दिया।

आगे यह देखा गया कि 70 योजनाओं में से 13 योजनाओं के संबंध में सतत विकास लक्ष्य-5 के अंतर्गत कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 3.2** में बताया गया है।

तालिका 3.2: उन योजनाओं का विवरण जिनमें वर्ष 2022-23 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया था

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम
1	महिला एवं बाल विकास	पी-01-12-2235-02-001-97-99-एन-वी- मुख्यालय के लिए कर्मचारी (डब्ल्यूसीडी) -सूचना प्रौद्योगिकी
2		पी-03-12-2235-02-103-66-51-एन-वी- महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण
3		पी-03-12-2235-02-103-69-51-एन-वी- महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने की योजना
4		पी-03-12-4235-02-103-96-51-एन-वी- महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर योजना की स्थापना हेतु भवन निर्माण
5		पी-01-12-4235-02-103-99-51-एन-वी-युवतियों/महिलाओं और निराश्रित महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र
6	स्वास्थ्य	पी-01-14-2210-80-199-98-98-एन-वी- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन -अटल जननी वाहिनी सेवा
7	शिक्षा (माध्यमिक)	पी-01-09-4202-01-202-98-51-एन-वी- सीनियर सेकेंडरी/हाई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय/ हैंडपंप का निर्माण (नाबार्ड)
8		पी-02-12-2202-02-109-84-51-एन-वी- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण और संचालन
9	परिवार कल्याण	पी-01-14-2211-51-001-99-51-एन-वी- राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो
10		पी-01-14-2211-51-003-96-51-एन-वी- एमपीडब्ल्यू (महिला) के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग स्कूल, भिवानी
11		पी-01-14-2211-51-003-99-51-एन-वी- क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र रोहतक
12		पी-01-14-2211-51-102-99-51-एन-वी- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं
13	पुलिस	पी-03-05-2055-51-114-96-51-एन-वी- अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) आरएसबी - सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग

(ii) जलवायु कार्रवाई के लिए बजटिंग (सतत विकास लक्ष्य-13)

राज्य सरकार ने अपने बजटीय आबंटन के साथ सतत विकास लक्ष्य-13 जलवायु परिवर्तन को जोड़ दिया है। जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत प्रमुख केंद्र बिंदु के क्षेत्र (फोकस एरिया) बाढ़ सुरक्षा और आपदा तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण (आपदा मित्र), एकीकृत वन संरक्षण, सिंचाई दक्षता के लिए फसल अवशेष सूक्ष्म सिंचाई का प्रबंधन, इको-क्लब की स्थापना, गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सैदाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन हैं।

2022-23 के दौरान, जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत आठ अलग-अलग विभागों द्वारा 42 योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 2,175.09 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान किया गया था। इन 42 योजनाओं में से, वर्ष 2022-23 के दौरान केवल 29 योजनाएं लागू की गईं। 2022-23 में जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत विभाग-वार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत विभाग-वार बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम (योजनाओं की संख्या)	बजट प्रावधान	व्यय
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (6)	358.52	458.70
2	भूमि अभिलेख (2)	0.50	0.51
3	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन (12)	15.61	5.69
4	राजस्व (8)	717.13	139.23
5	वन (3)	0.96	15.92
6	उद्योग निदेशालय (1)	2.00	0.35
7	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (6)	1,076.47	837.51
8	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (1)	3.90	3.38
	कुल (42 योजनाएं)	2,175.09	1461.29

स्रोत: सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2022-23 और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, आठ विभागों में से तीन विभागों अर्थात् सिंचाई एवं जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और कृषि एवं किसान कल्याण ने जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत बजट अनुमान 2022-23 में 98 प्रतिशत से अधिक का अंशदान दिया।

इन 42 योजनाओं में से 13 योजनाएं सतत विकास लक्ष्य-13 के अंतर्गत बजट का प्रावधान न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की गईं जैसा कि **तालिका 3.4** में वर्णित है।

तालिका 3.4: उस योजना का विवरण जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान प्रावधान नहीं किया गया था

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम
1	कृषि एवं किसान	पी-01-10-2401-51-111-91-51-एन-वी- मौसम आधारित फसल बीमा योजना
2	कल्याण विभाग	पी-02-10-2401-51-111-92-98-एन-वी- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना -एससीएसपी घटक
3		पी-02-10-2401-51-111-92-99-एन-वी- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-सामान्य योजना
4	भूमि अभिलेख	पी-03-04-2029-51-103-97-99-एन-वी- लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण मुख्यालय कर्मचारी - सूचना प्रौद्योगिकी
5	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन	पी-01-10-3435-03-001-96-51-आर-वी- ईएनवी-पर्यावरण का निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) (ईएनवी-पीएलओ-आरईवी)
6		पी-01-10-3435-03-188-99-51-आर-वी- अपीलीय प्राधिकारी
7		पी-01-10-3435-03-800-84-51-एन-वी- जलवायु परिवर्तन मंडल
8		पी-01-10-3435-03-800-88-98-एन-वी- राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण-स्थापना व्यय
9		पी-01-10-3435-03-800-89-51-एन-वी- गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
10	राजस्व	पी-03-04-2245-80-102-96-51-एन-वी- आपदा मित्र- आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण
11		पी-03-04-2245-80-102-97-51-एन-वी- मॉक एक्सरसाइज
12	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	पी-01-19-2810-51-103-99-51-एन-वी- शहरी औद्योगिक और वाणिज्यिक एप्लिकेशनों के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना
13	विद्युत	पी-03-19-2801-02-800-99-51-एन-वी- राज्य सरकार के माध्यम से प्रतिपूर्ति के आधार पर एचपीजीसीएल को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) अनुदान

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2018-23 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.5 में दी गई है।

तालिका 3.5: 2018-23 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2018-19	1,07,759.20	33,973.70	90,304.44	31,058.32	17,454.76	2,915.38
2019-20	1,19,003.62	37,446.09	98,167.61	31,688.66	20,836.01	5,757.43
2020-21	1,27,589.40	52,415.44	95,535.91	46,873.19	32,053.49	5,542.25
2021-22	1,47,174.90	48,514.54	1,06,051.98	44,110.17	41,122.92	4,404.37
2022-23	1,45,926.23	75,183.84	1,11,846.45	73,441.80	34,079.78	1,742.04

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

3.1.3 बजट मार्क्समैनशिप

(i) कुल बजट परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें कुल बजट व्यय परिणाम/वास्तविक व्यय, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मूल रूप से अनुमोदित बजट के विरुद्ध वास्तविक परिणाम की सारांशित स्थिति तालिका 3.6 में दी गई है।

तालिका 3.6: मूल बजट के विरुद्ध वास्तविक परिणाम का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट	वास्तविक परिणाम	वास्तविक परिणाम और मूल बजट के मध्य अंतर*
राजस्व	1,17,662.58	1,06,853.27	(-) 10,809.31
पूँजीगत	77,767.36	78,434.98	667.62
कुल	1,95,429.94	1,85,288.25	(-) 10,141.69

* मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 9.19 प्रतिशत था। पूँजीगत भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 0.86 प्रतिशत था। अनुदान के अनुसार प्रतिशतता विचलन **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का विवरण

बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का प्रतिशत	राजस्व भाग में अनुदान संख्या	राजस्व भाग में कुल अनुदान	पूँजीगत भाग में अनुदान संख्या	पूँजीगत भाग में कुल अनुदान
0-25	1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20	12	3, 4, 7, 14, 17	5
25-50	4, 11, 13, 15, 18	5	5, 11, 12, 13, 15, 19	6
50-75			6, 8, 10, 20	4
75-100			16	1
100 से अधिक			18	1

(ii) व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुनःआबंटन ने अनुमोदित व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है जो **तालिका 3.8** में दिया गया है।

तालिका 3.8: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, संशोधित अनुमान, संवितरण तथा वास्तविक और संशोधित बजट अनुमान के मध्य अंतर

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट	संशोधित अनुमान	वास्तविक परिणाम	बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के मध्य अंतर*	वास्तविक और संशोधित अनुमान के मध्य अंतर*
राजस्व	1,17,662.58	1,16,457.53	1,06,853.27	(-) 1,205.05	(-) 9,604.26
पूँजीगत	77,767.36	82,462.30	78,434.98	4,694.94	(-) 4,027.32
कुल	1,95,429.94	1,98,919.83	1,85,288.25	3,489.89	(-) 13,631.58

* मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.25 प्रतिशत था। पूँजीगत भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 4.88 प्रतिशत था। अनुदान के अनुसार प्रतिशतता विचलन **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: संशोधित बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का विवरण

बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का प्रतिशत	राजस्व भाग में अनुदान संख्या	राजस्व भाग में कुल अनुदान	पूँजीगत भाग में अनुदान संख्या	पूँजीगत भाग में कुल अनुदान
0-25	1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20	13	3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19	13
25-50	3, 11, 13, 18	4	5, 15, 20	3
50-75	-	-	-	-
75-100	-	-	16	1

(iii) बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक में कमियाँ

वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं का संशोधित अनुमान ₹ 1,98,919.83 करोड़ आंका गया। विभिन्न योजनाओं पर ₹ 1,85,288.25 करोड़ की राशि खर्च की गई जो संशोधित अनुमान का 93.15 प्रतिशत थी। ऐसे मामले जिनमें अनुमोदित बजट परिव्यय संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया था, अनुमोदित परिव्यय संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया था या अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में प्रावधान किया गया था लेकिन दोनों स्थितियों में कोई व्यय नहीं किया गया था, आदि पर निम्नलिखित उप-पैरा में चर्चा की गई है।

(क) बीस योजनाओं में ₹ 6,585.02 करोड़ की राशि (₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) अनुमोदित परिव्यय में प्रदान की गई थी, जिसे योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारण संशोधित अनुमान में वापस ले लिया गया था (**परिशिष्ट 3.1**)।

(ख) 2022-23 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 41 योजनाओं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) के लिए किए गए ₹ 3,558.21 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 694.05 करोड़ कर दिया गया, लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 3.2**)।

(ग) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 17 योजनाओं (₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) के लिए ₹ 476.50 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 3.3**)।

(घ) सोलह योजनाओं के लिए किए गए ₹ 2,654.63 करोड़ के प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और मूल प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम) को बढ़ाकर ₹ 3,566.02 करोड़ कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1,107.11 करोड़ का व्यय किया गया जो मूल अनुमान का 41.70 प्रतिशत था। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधियों की वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमान से कम था (**परिशिष्ट 3.4**)।

(ङ) चौसठ योजनाएं (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत से कम) जिनके लिए 2022-23 के दौरान निष्पादन के लिए अनुमोदित ₹ 12,875.12 करोड़ का परिव्यय संशोधित अनुमान में घटाकर

₹ 7,558.73 करोड़ कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 3,596.44 करोड़ खर्च किए गए जो संशोधित परिव्यय का 47.58 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 3.5**)।

- (च) दस योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक) जिनके लिए 2022-23 के दौरान निष्पादन के लिए ₹ 660.50 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 369.27 करोड़ कर दिया गया, लेकिन ₹ 500.16 करोड़ का व्यय हुआ जो संशोधित अनुमान का 135.45 प्रतिशत था जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में बताया गया है।
- (छ) उनचास (49) योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और मूल प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम) जिसके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमान में ₹ 4,040.40 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 2,487.20 करोड़ (61.56 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जो किए गए प्रावधान से कम था जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में वर्णित है।
- (ज) सत्ताईस योजनाओं के लिए किए गए ₹ 2,503.66 करोड़ के प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत से कम) को बढ़ाकर ₹ 4,325.11 करोड़ कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,724.36 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अलावा, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधियों की वृद्धि अत्यधिक सिद्ध हुई, क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमान का 62.99 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 3.8**)।
- (झ) नौ योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमान में ₹ 422.24 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 891.07 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि किए गए प्रावधान से 111.03 प्रतिशत अधिक था जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में वर्णित है।
- (ञ) योजना "फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड [पी-02-20-2217-80-190-99-51]" जिसके लिए संशोधित अनुमान में ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 196 करोड़ का व्यय हुआ जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधान से 196 प्रतिशत अधिक था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए प्रभारित और दत्तमत विनियोग अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोग

अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं। अतः, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

3.3.1 बिना सलाह के नए उप-शीर्ष/विस्तृत लेखा शीर्ष खोलना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार रखा जाना है। 2022-23 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने संविधान के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना, बजट में तीन नए उप-शीर्ष (पूंजीगत भाग के अंतर्गत) खोले। राज्य सरकार ने इन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,110 करोड़ का बजट प्रदान किया और 2022-23 के दौरान इन शीर्षों में पूंजीगत भाग के अंतर्गत ₹ 519.33 करोड़ का व्यय किया जैसा कि **तालिका 3.10** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.10: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना अनधिकृत शीर्षों का संचालन/नए उप-शीर्ष/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम एवं वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
1	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिका को सहायता अनुदान (अनधिकृत योजना) [पी-01-20-4217-60-051-87]	720.00	341.00
2	राज्य वित्त आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक हेतु नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99]	280.00	158.33
3	बागवानी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता [पी-01-10-6401-51-800-90]	110.00	20.00
	कुल	1,110.00	519.33

स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखों की टिप्पणियां।

इन उप-शीर्षों को खोलने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय ने राज्य सरकार के साथ मामला उठाया था (अगस्त 2022 और मई 2023) कि इन योजनाओं को पूंजीगत भाग के बजाय राजस्व भाग के अंतर्गत खोला जाना चाहिए, क्योंकि नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान को पूंजीगत प्रकृति के बजाय राजस्व प्रकृति के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। इसके अलावा, लेखों के पूंजीगत भाग का उद्देश्य

सरकार की स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यय को रिकॉर्ड करना है, जबकि नगरपालिकाएं अलग संस्थाएं हैं। नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई पूंजीगत परिसंपत्ति को सरकार की परिसंपत्ति के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। एमएच 6401-51-800-90-51-23 के अंतर्गत वित्तीय सहायता के मामले में, निधियां राज्य के एसओई 23 (ऋण) के अंतर्गत जारी की गई थी, लेकिन नामकरण का उल्लेख बागवानी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में किया गया था।

इस मामले को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के साथ बार-बार उठाया गया है, लेकिन अभी तक (दिसंबर 2023) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

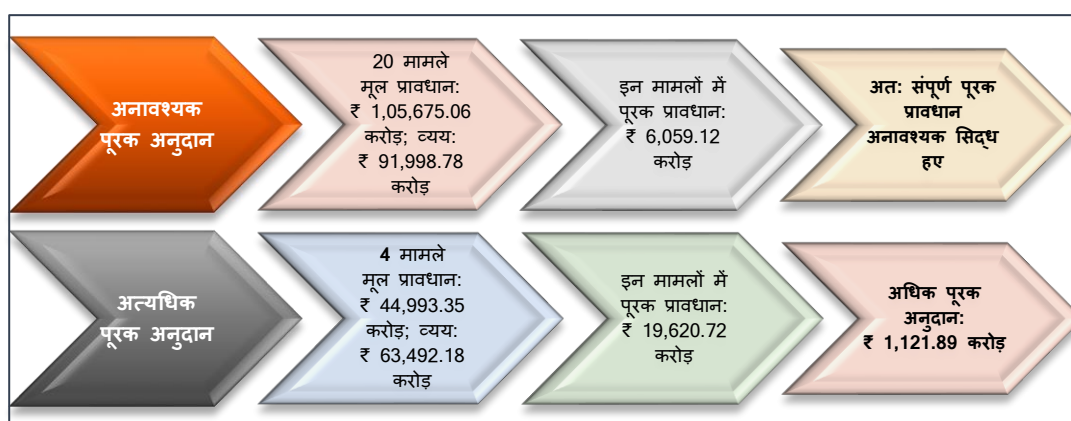
3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 20 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 6,059.12 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। चार मामलों में, ₹ 19,620.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता (₹ 18,498.83 करोड़) से ₹ 1,121.89 करोड़ अधिक था (परिशिष्ट 3.10)।

अनावश्यक एवं अत्यधिक अनुपूरक प्रावधानों का विवरण चार्ट 3.3 में दिया गया है।

चार्ट 3.3: अनावश्यक एवं अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोग लेखे

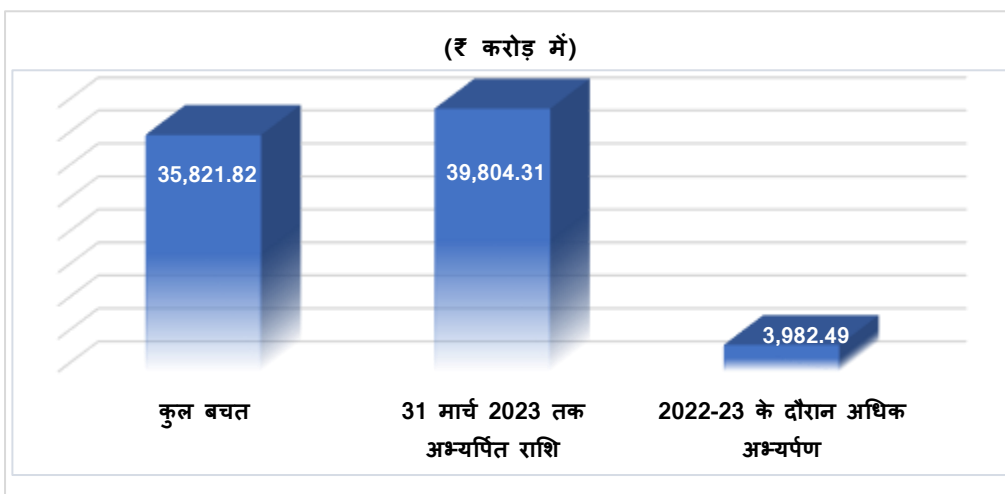
इस प्रकार से काफी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (नवंबर 2023), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने भविष्य के अनुपालन के लिए मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

3.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनःविनियोग

पुनःविनियोग, विनियोग की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 35,821.82 करोड़ की वास्तविक बचत में से ₹ 39,804.31 करोड़ की राशि पुनःविनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,982.49 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जैसा कि **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर बचत और अभ्यर्पण



पुनःविनियोग अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ₹ पांच करोड़ से अधिक 73 उप-शीर्षों में ₹ 5,610.58 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ और 24 उप-शीर्षों के अंतर्गत, जहां विनियोग इससे अधिक था, ₹ 2,243.20 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** में वर्णित हैं। 74 उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक थीं। पांच² मामलों में, पुनःविनियोग के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और अनुपूरक प्रावधानों से अधिक था और 17³ मामलों में, जहां मूल प्रावधान की संपूर्ण राशि को पुनःविनियोग के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधान के बिना व्यय करना पड़ा। पांच⁴ मामलों में, निधियों का पुनःविनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि बचत पुनःविनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी। इसी तरह, 11⁵ मामलों में निधियों का पुनःविनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय पुनःविनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

² **परिशिष्ट 3.11** की क्रम संख्या 1, 26, 29, 54 और 86.

³ **परिशिष्ट 3.11** की क्रम संख्या 5, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 55, 66 और 78.

⁴ **परिशिष्ट 3.11** की क्रम संख्या 2, 34, 46, 53 और 72.

⁵ **परिशिष्ट 3.11** की क्रम संख्या 14, 27, 31, 32, 35, 37, 44, 47, 80, 87 और 88.

3.3.4 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर, 37 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 2,20,820.72 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,85,016.31 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35,804.41 करोड़ की बचत हुई। इन बचतों में से ₹ 39,792.80 करोड़ अभ्यर्पित किए गए (*परिशिष्ट 3.12*), जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक बचत से ₹ 3,988.39 करोड़ अधिक अभ्यर्पित किए गए। यह अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि सात मामलों में ₹ 12,341.79 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 1,428.12 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा में भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। 28 मामलों में, ₹ 23,421.19 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 28,837.70 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5,416.51 करोड़ का अतिरिक्त अभ्यर्पण हुआ। दो मामलों में ₹ 41.43 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गईं। निधि के कम अभ्यर्पण या अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए।

3.3.5 बचत

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल के पैरा 5.3 के अनुसार, अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना अपेक्षित हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ शीर्षों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटनों की तुलना में बचत

कुल बचत ₹ 35,821.82 करोड़ थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 27 मामलों में ₹ 35,452.21 करोड़ की बचत थी (*परिशिष्ट 3.13*)। इन 27 मामलों में, ₹ 2,19,554.72 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,84,102.51 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 35,452.21 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में ₹ 500 करोड़ से अधिक की पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें *तालिका 3.11* में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.11: ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

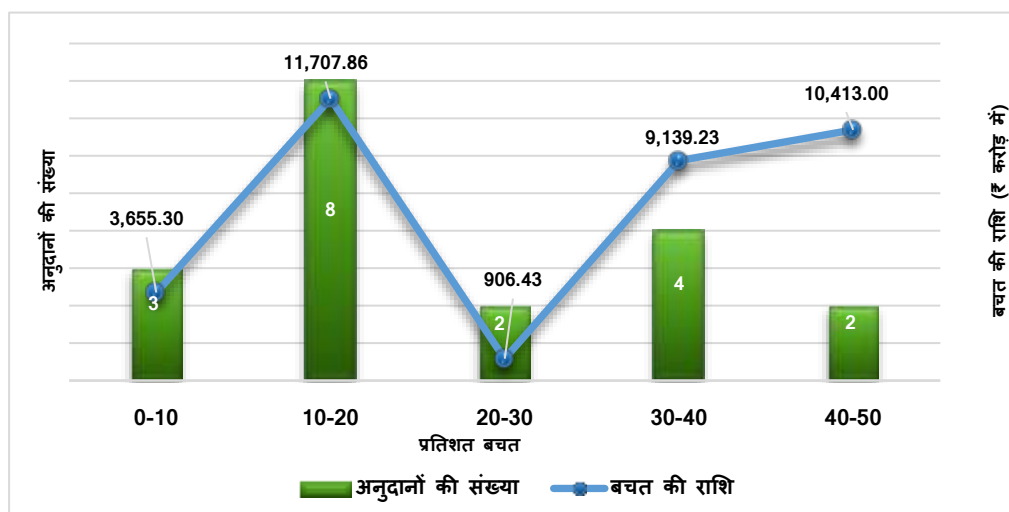
क्र.सं.	अनुदान की संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	4	2,416.83	0.00	2,416.83	1,809.54	607.29
2	5	7,503.92	668.04	8,171.96	6,700.69	1,471.27
3	6	13,530.83	0.00	13,530.83	12,841.46	689.37
4	10	5,453.59	105.37	5,558.96	4,140.84	1,418.12
5	11	1,586.16	538.90	2,125.06	1,088.45	1,036.61
6	12	20,330.10	1,766.06	22,096.16	19,046.99	3,049.17
7	14	7,126.03	229.63	7,355.66	6,298.23	1,057.43
8	15	1,822.02	187.43	2,009.45	1,183.25	826.20
9	16	10,335.24	178.13	10,513.37	9,556.08	957.29
10	17	4,224.54	439.69	4,664.23	3,628.54	1,035.69
11	19	9,714.30	876.63	10,590.93	10,060.93	530.00
12	20	10,025.05	1,007.10	11,032.15	8,551.69	2,480.46
	कुल	94,068.611	5,996.98	100,065.59	84,906.69	15,158.90
राजस्व (प्रभारित)						
13	6	21,161.48	1.00	21,162.48	20,095.57	1,066.91
	कुल	21,161.48	1.00	21,162.48	20,095.57	1,066.91
पूँजीगत (दत्तमत)						
14	10	1,256.88	8.10	1,264.98	618.33	646.65
15	11	16,416.60	0.00	16,416.60	11,006.11	5,410.49
16	12	1,850.18	30.00	1,880.18	1,007.26	872.92
17	14	1,803.29	155.00	1,958.29	1,424.39	533.90
18	17	4,765.31	350.00	5,115.31	4,611.63	503.68
19	19	4,256.49	30.00	4,286.49	2,154.20	2,132.29
20	20	9,469.56	0.00	9,469.56	2,399.56	7,070.00
	कुल	39,818.31	573.10	40,391.41	23,221.48	17,169.93
पूँजीगत (प्रभारित)						
21	8	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.27	566.94
	कुल	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.27	566.94
	कुल योग	1,90,100.61	25,107.08	2,15,207.69	1,81,245.01	33,962.68

स्रोत: विनियोग लेखे

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की संवीक्षा से पता चला कि 2022-23 के दौरान 79 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं के अतिरिक्त) में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (परिशिष्ट 3.14)। इतनी बड़ी बचत दोषपूर्ण बजटिंग की सूचक है।

बजटीय आबंटन के विरुद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को चार्ट 3.5 में वर्गीकृत किया गया है।

चार्ट 3.5: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों⁶/विनियोगों की संख्या



स्रोत: विनियोग लेखे

(ii) निरंतर बचतें

अनुदानों और विनियोग की आगे की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व दत्तमत में सात अनुदानों और पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत 10 अनुदानों में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बचत के साथ अनुदानों का विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व (दत्तमत)						
1	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	88.44 (19)	209.71 (31)	163.35 (28)	144.22 (21)	353.66 (37)
2.	5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	923.82 (16)	662.16 (11)	1,210.85 (18)	2,013.93 (25)	1,471.27 (18)
3.	10-खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,261.76 (29)	1,950.83 (41)	2,137.11 (35)	2,029.07 (32)	1,418.12 (26)
4.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	126.17 (28)	238.79 (42)	268.32 (58)	301.31 (47)	185.00 (31)
5.	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	235.23 (26)	278.09 (23)	601.36 (39)	661.08 (33)	826.20 (41)
6.	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	268.91 (45)	147.25 (32)	117.63 (34)	121.90 (30)	223.88 (42)
7	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	3,663.80 (30)	4,427.37 (33)	6,478.12 (39)	8,495.14 (50)	2,480.46 (22)

⁶ अनुदान संख्या 9-आकस्मिकता निधि को शामिल नहीं किया गया था, इस अनुदान में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूँजीगत (दत्तमत)						
8	5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	154.20 (38)	180.30 (44)	259.20 (49)	119.33 (36)	150.05 (35)
9	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	310.14 (44)	172.39 (42)	200.58 (65)	153.58 (37)	325.05 (59)
10	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,256.31 (62)	373.02 (22)	286.82 (24)	1,162.11 (55)	251.89 (20)
11.	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	177.01 (68)	227.84 (93)	1,432.43 (80)	128.11 (21)	872.92 (46)
12.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	27.92 (29)	25.16 (23)	76.91 (37)	72.42 (34)	66.24 (26)
13.	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	422.80 (75)	371.78 (54)	516.71 (40)	523.91 (37)	533.90 (27)
14	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	53.44 (78)	32.14 (42)	60.71 (45)	72.61 (61)	36.01 (49)
15	16-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	13.04 (38)	24.02 (91)	31.77 (80)	30.96 (83)	49.74 (81)
16	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	31.23 (59)	10.00 (19)	11.89 (13)	11.29 (13)	20.28 (11)
17	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	390.68 (12)	1,484.55 (42)	2,154.19 (57)	1,065.80 (22)	7,070.00 (75)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

2020-21 से 2022-23 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान आगे की जांच में, राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत 61 योजनाओं में लगातार बचत देखी गई जिनमें प्रावधान (मूल अनुमान + अनुपूरक अनुमान) ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक था और कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.15** में दिया गया है।

3.3.6 अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से नियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी अनुदान एवं विनियोग के अंतर्गत अधिक वितरण का कोई मामला सामने नहीं आया। तथापि, वर्ष 2019-20 से 2021-22 से संबंधित ₹ 238.79 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण, जैसा कि **तालिका 3.13** में दर्शाया गया है, अभी तक राज्य विधानमंडल (सितंबर 2023) से नियमित नहीं किया गया है।

तालिका 3.13: पिछले वर्षों से संबंधित अतिरिक्त व्यय को नियमित किया जाना अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान का नाम/ विनियोग	कुल प्रावधान	व्यय	विनियोग लेख में टिप्पणी के अनुसार अतिरिक्त राशि को नियमित किया जाना अपेक्षित है
2019-20	08	भवन एवं सड़कें	1,172.78	1,299.78	127.00
	23	खाद्य एवं आपूर्ति	432.34	458.73	26.39
2020-21	35	पर्यटन	29.01	50.94	21.93
2021-22	07	योजना एवं सांख्यिकी	46.90	110.33	63.43
	23	खाद्य एवं आपूर्ति	0.20	0.24	0.04
	कुल		1,681.23	1,920.02	238.79

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य सब-ऑप्टिमल आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2022-23 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 2,21,110.07 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,85,288.25 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2022-23 में ₹ 35,821.82 करोड़ (16.20 प्रतिशत) की बचत हुई, जिसमें से ₹ 39,804.31 करोड़ (111.12 प्रतिशत) अभ्यर्पित कर दिया गया। विवरण तालिका 3.14 में दिया गया है।

तालिका 3.14: वर्ष 2022-23 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

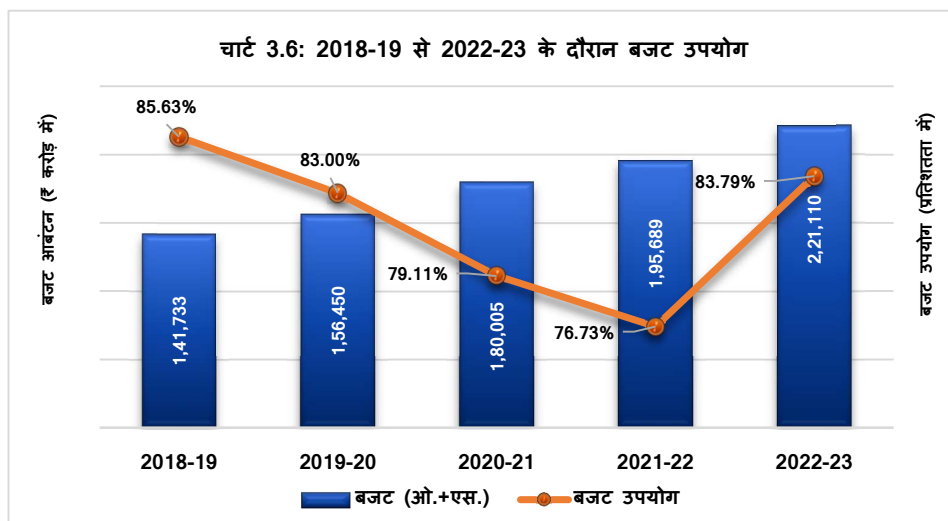
(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	2022-23 के दौरान अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	96,238.25	6,182.98	1,02,421.23	86,465.82	15,955.41	17,162.68	107.57
	II पूंजीगत	38,943.56	728.12	39,671.68	22,918.56	16,753.12	17,320.53	103.39
	III ऋण एवं अग्रिम	3,661.59	171.73	3,833.32	2,462.07	1,371.25	1,539.11	112.24
कुल दत्तमत		138,843.40	7,082.83	1,45,926.23	1,11,846.45	34,079.78	36,022.32	105.70
प्रभारित	IV राजस्व	21,424.33	61.30	21,485.63	20,387.45	1,098.18	3,356.40	305.63
	V पूंजीगत	110.00	0.00	110.00	33.07	76.93	75.82	98.56
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	35,052.21	18,536.00	53,588.21	53,021.28	566.93	349.77	61.70
कुल प्रभारित		56,586.54	18,597.30	75,183.84	73,441.80	1,742.04	3,781.99	217.10
कुल योग		1,95,429.94	25,680.13	2,21,110.07	1,85,288.25	35,821.82	39,804.31	111.12

स्रोत: विनियोग लेखे

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियाँ राजस्व शीर्ष (₹ 447.06 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 11,286.68 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।

अनुपूरक प्रावधान द्वारा ₹ 25,680.13 करोड़ के मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत संघटित किया गया जो कि गत वर्ष के समान था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट उपयोग चार्ट 3.6 में दिया गया है।



राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1,95,429.94 करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित कर ₹ 1,98,919.83 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 1,85,288.25 करोड़ था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय का डेटा तालिका 3.15 में दिया गया है और प्रवृत्ति चार्ट 3.7 में दी गई है।

तालिका 3.15: 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

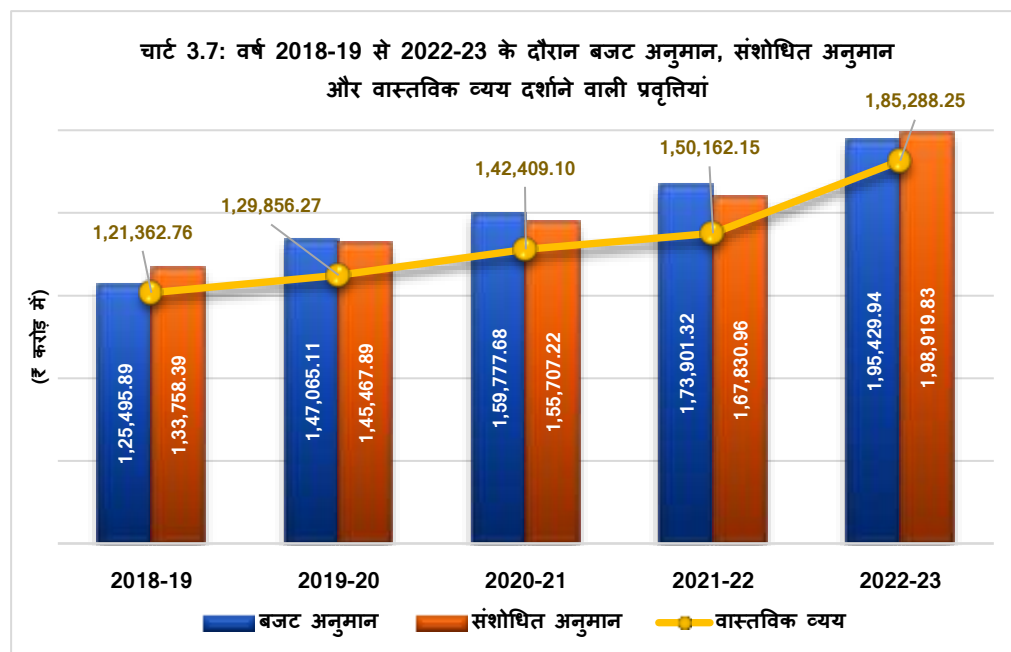
(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	1,25,495.89	1,47,065.11	1,59,777.68	1,73,901.32	1,95,429.94
अनुपूरक बजट	16,237.01	9,384.60	20,227.16	21,788.12	25,680.13
कुल बजट (टीबी)	1,41,732.90	1,56,449.71	1,80,004.84	1,95,689.44	2,21,110.07
संशोधित अनुमान (आरई)	1,33,758.39	1,45,467.89	1,55,707.22	1,67,830.96	1,98,919.83
वास्तविक व्यय (ईई)	1,21,362.76	1,29,856.27	1,42,409.10	1,50,162.15	1,85,288.25
बचत	(-) 20,370.14	(-) 26,593.44	(-) 37,595.74	(-) 45,527.29	(-) 35,821.82
मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	12.94	6.38	12.66	12.53	13.14
समय बचत/समय प्रावधान से अधिक की प्रतिशतता	(-) 14.37	(-) 17.00	(-) 20.89	(-) 23.27	(-) 16.20
कुल बजट - संशोधित अनुमान	7,974.51	10,981.82	24,297.62	27,858.48	22,190.24
संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय	12,395.63	15,611.62	13,298.12	17,668.81	13,631.58
(कुल बजट - संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	5.63	7.02	13.50	14.24	10.04
(संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	8.75	9.98	7.39	9.03	6.17

स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज और विनियोग लेखे

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, संशोधित अनुमान लगातार कुल बजट से कम था। इस प्रकार, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक

सिद्ध हुए क्योंकि समान अवधि के दौरान व्यय मूल बजट प्रावधानों की सीमा तक भी नहीं आया जैसा कि चार्ट 3.7 में दर्शाया गया है।



यह दर्शाता है कि बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान लगातार बढ़े हुए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय तालिका 3.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.16: वर्ष 2022-23 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1	फसल अवशेष प्रबंधन योजना (2401-51-113-82)	100.00	31.17	68.83
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-51-109-80)	200.00	53.45	146.55
3	हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण-राज्य योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ाईकरण और सुधार (5054-03-337-88-99)	150.00	125.22	24.78
4	फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना (2401-51-108-83)	160.00	473.69	-313.69
5	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (4515-51-101-96)	820.00	205.20	614.80
6	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	200.00	34.71	165.29
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु योजना-सामान्य योजना (2515-51-102-93-99)	300.00	11.07	288.93
8	बागवानी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता (6401-51-800-90)	110.00	20.00	90.00
9	राज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना (2810-51-101-98)	400.00	297.91	102.09
10	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99)	400.00	380.39	19.61
11	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (2235-60-102-98)	4,350.00	4,216.90	133.10
12	अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95)	120.00	89.01	30.99
13	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को वित्तीय सहायता (6416-51-190-99)	696.87	428.85	268.02

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
14	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-51-111-90)	600.00	416.39	183.61
15	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) (4515-51-101-97)	500.00	98.68	401.32
16	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना (2401-51-108-81)	150.00	85.04	64.96
17	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (2401-51-109-78)	200.00	102.85	97.15
18	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99)	450.00	178.16	271.84
19	भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज हेतु ऋण (6408-02-190-99)	120.00	97.89	22.11
20	औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव का नाम बदलकर नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया गया है (2851-51-101-95)	150.00	24.03	125.97
21	नहरों और नालों पर पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण (4700-80-800-97)	200.00	150.72	49.28
22	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	500.00	483.50	16.50
23	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन- (2202-01-112-99)	380.70	310.00	70.70
24	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51)	404.00	386.66	17.34
25	खेल अवसंरचना योजना (4202-03-102-99)	100.00	99.56	0.44
26	निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता (2235-60-102-96)	2,000.00	1,910.82	89.18
	कुल	13,761.57	10,711.87	3,049.70

स्रोत: वित्त लेखे और विनियोग लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2022-23 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 13,761.57 करोड़ के विरुद्ध ₹ 10,711.87 करोड़ (77.84 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। कुल 26 योजनाओं में से नौ योजनाओं में बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम व्यय हुआ और एक योजना में बजट प्रावधान से अधिक व्यय हुआ। इन योजनाओं के बचत/आधिक्य के कारणों की चर्चा **तालिका 3.17** में की गई है।

तालिका 3.17: बचत/आधिक्य के कारणों का विवरण

योजना का नाम और वर्गीकरण	बचत/आधिक्य के कारण
फसल अवशेष प्रबंधन योजना (2401-51-113-82)	सब्सिडी के लिए कम दावे।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-51-109-80)	भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी की गई।
फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना (2401-51-108-83)	अनुमान से अधिक सब्सिडी के दावे प्राप्त हुए और इस प्रकार अत्यधिक व्यय हुआ।
राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (4515-51-101-96)	पंचायत राज संस्थाओं के देर से चुनाव अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 के छः माह बीतने के बाद।
दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	नाबाई (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) से कम निधियां प्राप्त हुईं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु योजना-सामान्य योजना (2515-51-102-93-99)	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना।
हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) (4515-51-101-97)	कार्य परिव्यय को अंतिम रूप न दिया जाना।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99)	भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होना।
औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव का नाम बदलकर नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया गया है (2851-51-101-95)	समूहों के विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा न करना और स्टायर अप वेयरहाउसिंग इनक्यूबेशन केंद्रों के दावों की प्राप्ति न होना।

स्रोत: विनियोग लेखे

इससे लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा। यह दर्शाता है कि बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे।

3.4.3 बजट भाषण में विभिन्न योजनाओं और निधियों की घोषणा

2022-23 के बजट भाषण दस्तावेज की जांच के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं, जैसा कि **तालिका 3.18** में विवरण दिया गया है, को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, इन योजनाओं को बजट दस्तावेज (2022-23) में सूचीबद्ध नहीं पाया गया, जो दर्शाता है कि इन योजनाओं के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं था।

तालिका 3.18: विभिन्न योजनाओं का विवरण जिनमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था

क्र.सं.	बजट में दिया गया योजना का नाम
1	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)
2	द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना
3	सुषमा स्वराज पुरस्कार
4	हरियाणा मातृशक्ति उदयमिता योजना
5	फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम
6	प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन
7	प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली
8	पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए राज्य लघु पुनर्निर्माण योजना निधि
9	लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्यम उन्नति (एमएसएमई एडवांसमेंट) हेतु त्वरित विकास कार्यक्रम [पदमा]
10	लघु उद्यमिता समर्थन निधि
11	विवादों का समाधान

स्रोत: बजट भाषण 2022-23 और बजट दस्तावेज 2022-23

आगे, सरकार ने तीन समर्पित निधि स्थापित करने का प्रस्ताव रखा: (1) जलवायु एवं सतत विकास निधि, (2) अनुसंधान एवं नवाचार निधि और (3) उद्यम पूंजी निधि। बजट दस्तावेज की जांच करने पर, यह पाया गया कि इन निधियों के विरुद्ध कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

मामला राज्य सरकार के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया (सितंबर 2023)। अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया (अक्टूबर 2023) कि संबंधित विभागों से उक्त निधियों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से नई योजनाएं खोली जाएंगी। तथापि, तथ्य यह है कि राज्य सरकार बजट भाषण में घोषित अपने स्वयं के प्रस्तावों को पूरा करने में विफल रही।

3.4.4 व्यय की अधिकता

सरकारी निधियों को पूरे वर्ष समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। व्यय की स्थिर गति बनाए रखना मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है। वित्त विभाग, हरियाणा ने चरणबद्ध ढंग से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए तिमाही-वार प्रतिशतता (पहली तिमाही:

25 प्रतिशत; दूसरी तिमाही: 20 प्रतिशत; तीसरी तिमाही: 25 प्रतिशत, चौथी तिमाही: 30 प्रतिशत) निर्धारित की (अप्रैल 2016)।

व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 3.16** में सूचीबद्ध नौ अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 21 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

इन मामलों में, वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कुल ₹ 15,375.54 करोड़ के व्यय में से ₹ 4,566.78 करोड़ (29.70 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2023 में किया गया। इस प्रकार अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र एक महीने में 29.70 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 59.44 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि **परिशिष्ट 3.16** में दिए गए 21 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान किया गया व्यय 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था। आगे यह देखा गया कि अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत के संबंध में ₹ 6,764.86 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 3,556.53 करोड़ (53 प्रतिशत) चौथी तिमाही में खर्च किए गए थे।

मार्च 2023 की तिमाहियों के दौरान किए गए अनुदान-वार आबंटन और व्यय का विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि पहली तिमाही में तीन अनुदानों⁷, दूसरी तिमाही में नौ अनुदानों⁸, तीसरी तिमाही में चार अनुदानों⁹ और अंतिम तिमाही में सात अनुदानों¹⁰ में वित्त विभाग के उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण **परिशिष्ट 3.17** में दर्शाया गया है।

अंतिम तिमाही के दौरान, विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय की अधिकता, वित्तीय औचित्य का अनुपालन न करने को दर्शाती है।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

प्रस्तावना

दो चयनित अनुदानों अर्थात् अनुदान 10¹¹ और अनुदान 19¹² के संबंध में बजटीय प्रक्रिया

⁷ अनुदान संख्या 5, 14 और 20.

⁸ अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15 और 16.

⁹ अनुदान संख्या 10, 15, 17 एवं 19.

¹⁰ अनुदान संख्या 2, 4, 13, 17, 18, 19 और 20.

¹¹ खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण।

¹² सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरण ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में भिन्नता की मात्रा का विश्लेषण किया गया।

3.5.1 अनुदान संख्या 10 की समीक्षा

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत कार्यात्मक शीर्षों के अधीन आबंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति **तालिका 3.19** में दी गई है।

तालिका 3.19: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व					
दत्तमत	5,453.60	105.37	5,558.97	4,140.84	(-) 1,418.13 (26)
प्रभारित	1.58	0	1.58	1.00	(-) 0.58 (37)
पूंजीगत ¹³	1,256.88	8.10	1,264.98	618.33	(-) 646.65 (51)
कुल योग	6,712.06	113.47	6,825.53	4,760.17	(-) 2,065.36 (30)

उपर्युक्त अनुदान संख्या 10 से, दो विभागों अर्थात (i) वन और वन्यजीव और (ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को आगे की समीक्षा के लिए चुना गया था।

दो मुख्य शीर्ष अर्थात 2402-मृदा एवं जल संरक्षण¹⁴ और 2406-वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव विभाग से संबंधित हैं और छः मुख्य शीर्ष अर्थात 2401-फसल पालन, 2402-मृदा एवं जल संरक्षण¹⁵, 2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम एवं 4401-फसल पालन पर पूंजी परिव्यय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित है जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान इन विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए चयनित दो विभागों के कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति **तालिका 3.20** में दी गई है।

¹³ इसमें मुख्य शीर्ष 6401 के अंतर्गत फसल पालन के लिए ऋण, मुख्य शीर्ष 6403 के अंतर्गत पशुपालन के लिए ऋण और मुख्य शीर्ष 6416 के अंतर्गत कृषि वित्तीय संस्थानों को ऋण शामिल हैं।

¹⁴ इसमें केवल मुख्य शीर्ष 2402-001-99, 2402-102-87, 2402-102-90, 2402-102-91 और 2402-800-98 शामिल हैं।

¹⁵ फुटनोट संख्या 10 में उल्लिखित मुख्य शीर्षों को छोड़कर।

तालिका 3.20: चयनित विभागों का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)
वन एवं वन्यजीव विभाग						
2020-21	राजस्व (दत्तमत)	548.50	0	548.50	481.73	(-) 66.77 (12)
	राजस्व (प्रभारित)	0.70	0	0.70	0.37	(-) 0.33 (47)
	कुल	549.20	0.00	549.20	482.10	(-) 67.10 (12)
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	655.17	165.05	820.22	528.15	(-) 292.07 (36)
	राजस्व (प्रभारित)	0.70	0	0.70	0.69	(-) 0.01 (1)
	कुल	655.87	165.05	820.92	528.84	(-) 292.08 (36)
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	807.05	37.32	844.37	538.72	(-) 305.65 (36)
	राजस्व (प्रभारित)	1.20	0	1.20	0.86	(-) 0.34 (28)
	कुल	808.25	37.32	845.57	539.58	(-) 305.99 (36)
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग						
2020-21	राजस्व (दत्तमत)	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	(-) 1,694.77 (42)
	राजस्व (प्रभारित)	0.08	0	0.08	0.02	(-) 0.06 (75)
	पूंजीगत (दत्तमत)	10.00	0	10.00	1.77	(-) 8.23 (82)
	कुल	3,622.71	430.22	4,052.93	2,349.87	(-) 1,703.06 (42)
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	3,301.07	587.04	3,888.11	2,603.64	(-) 1,284.47 (33)
	राजस्व (प्रभारित)	0.08	0	0.08	0.01	(-) 0.07 (88)
	पूंजीगत (दत्तमत)	10.01	50.00	60.01	2.23	(-) 57.78 (96)
	कुल	3,311.16	637.04	3,948.20	2,605.88	(-) 1,342.32 (34)
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	3,233.98	0.01	3,233.99	2,495.37	(-) 738.62 (23)
	राजस्व (प्रभारित)	0.08	0	0.08	0.05	(-) 0.03 (38)
	पूंजीगत (दत्तमत)	10.01	0	10.01	31.97	21.96 (219)
	कुल	3,244.07	0.01	3,244.08	2,527.39	(-) 716.69 (22)

दत्तमत चयनित दो विभागों के बजट और व्यय की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2020-21 से 2022-23 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान बजट प्रावधानों के विरुद्ध वन एवं वन्यजीव विभाग में बचत ₹ 67.10 करोड़ और ₹ 305.99 करोड़ के मध्य और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ₹ 716.69 करोड़ और ₹ 1,703.06 करोड़ के मध्य थी। इसी अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के विरुद्ध उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता वन एवं वन्यजीव विभाग में 12 से 36 प्रतिशत के मध्य और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 22 से 42 प्रतिशत के बीच थी। कुछ योजनाओं में बचत के कारण इस प्रकार थे (जैसा कि विभागों द्वारा बताया गया है):

- **गन्ने पर प्राद्व्योगिकी मिशन की योजना:** ₹ 64.96 करोड़ की बचत इस तथ्य के कारण हुई कि ₹ 56.47 करोड़ का सब्सिडी बिल वित्त विभाग से संस्वीकृत नहीं हो सका क्योंकि इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 (जून 2023) के अंतिम दिन कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- **हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण की योजना:** ₹ 45 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 2.33 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹ 42.67 करोड़ की बचत हुई। बचत मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने, रिक्त पदों को न भरने और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

- **निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय:** ₹ 449 करोड़ (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग: ₹ 424 करोड़ और वन एवं वन्यजीव विभाग: ₹ 25 करोड़) की बचत योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई। यह देखा गया कि ₹ 25 करोड़ अन्य मदों में अंतरित कर दिए गए थे और ₹ 214.79 करोड़ अनुदान की अन्य योजनाओं के लिए पुनःआबंटित किए गए थे।

(ii) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार योजनाओं के अंतर्गत किए गए ₹ 19.80 करोड़ के बजट प्रावधान वर्ष (2022-23) के अंत में अप्रयुक्त रह गए (बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ से ऊपर) जैसा कि **तालिका 3.21** में बताया गया है।

तालिका 3.21: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1.	2401-119-63-हरियाणा में बागवानी फसल बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कर दिया गया है।	10.00
2.	2401-119-71-जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धतियां रखा गया है।	5.10
3.	2406-01-102-74-एकीकृत वन संरक्षण	1.70
4.	2406-02-110-87-जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत हरियाणा में संरक्षण और आर्द्रभूमि	3.00
	कुल	19.80

उपर्युक्त योजनाओं के लिए किए गए बजट का पूरा प्रावधान अंततः पुनः विनियोजित किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि बचत मुख्य रूप से भारत सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की संस्वीकृति न मिलने के कारण हुई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में बचत का कारण योजनाओं का क्रियान्वयन न होना था।

(iii) बजट का अवास्तविक पुनःआबंटन

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 2.61 करोड़ की निधियों को 'कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय' योजना से छः योजनाओं और 'फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना' से एक अन्य योजना के लिए पुनः आबंटित किया गया, जैसा कि **तालिका 3.22** में बताया गया है।

तालिका 3.22: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में पुनः आबंटित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उन योजनाओं का विवरण जहां से निधियां पुनः आबंटित की गईं और जिन योजनाओं को निधियां प्रदान की गईं	मूल बजट	पुनः आबंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियां	व्यय	पुनःआबंटन के कारण
1	से पुनः आबंटित: पी-01-10-2401-001-94-51-एन-वी-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एजीआर-पीएलओ-आरईवी)				
i	पी-01-10-2401-51-107-99-51-आर-वी-प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेशन	17.04	0.33	16.07	किराया और चिकित्सा दावों का भुगतान
ii	पी-01-10-2401-51-108-94-51-आर-वी-हरियाणा में गन्ना विकास	13.44	0.42	12.90	
iii	पी-01-10-2401-51-108-98-51-आर-वी-हरियाणा में अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम	29.96	0.20	26.06	चिकित्सा दावे
iv	पी-01-10-2401-51-109-99-51-आर-वी-कृषि प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार	88.55	0.40	75.81	किराया और चिकित्सा दावों का भुगतान
v	पी-01-10-2402-51-102-99-51-आर-वी-हरियाणा में कृषि भूमि पर मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन की योजना	26.84	0.51	24.73	यात्रा भत्ते और चिकित्सा दावे
vi	पी-01-10-2435-01-101-99-98-आर-वी-कृषि उपज का विकास एवं ग्रेडिंग	2.24	0.05	1.72	चिकित्सा दावे
2	से पुनः आबंटित: पी-01-10-2401-51-113-82-51-एन-वी फसल अवशेष प्रबंधन हेतु योजना				
i	पी-01-10-2401-51-113-96-51-एन-वी-कृषि अभियांत्रिकी सेवा योजना	8.00	0.70	4.27	मशीनरी और उपकरण
	कुल		0.7		

यह देखा जा सकता है कि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इस प्रकार, इन मामलों में, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना निधियों का अनावश्यक पुनःआबंटन किया गया था।

(iv) अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद प्रत्याशित अतिरिक्त राशि को कवर करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के बजट और व्यय की जांच के दौरान, यह देखा गया कि अनुपूरक बजट प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय वन और वन्यजीव विभाग में मूल या अनुपूरक अनुदान से कम था जैसा कि तालिका 3.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.23: अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना का वर्गीकरण एवं नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय
पी-01-10-2406-01-102-71-51-आर-वी- हर्बल नेचर पार्क	10.00	5.00	7.33
पी-02-10-2406-01-102-64-51-आर-वी- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	0.01	27.30	15.92

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनुपूरक प्रावधान किए गए थे।

वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि पंचकुला और करनाल जिलों में ऑक्सीजन-वन¹⁶ के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, अनुपूरक मांग के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया था, लेकिन अंतिम तिमाही में कुल व्यय के 30 प्रतिशत के भीतर व्यय को सीमित करने की सीमा के कारण राशि खर्च नहीं की जा सकी।

(v) निरंतर बचतें

17 उप-शीर्षों (वन एवं वन्यजीव विभाग: 5 और कृषि एवं किसान, कल्याण विभाग: 12) में, कुल प्रावधान के 10.35 से 100 प्रतिशत के मध्य लगातार बचत पाई गई, जो **परिशिष्ट 3.18** में दिए गए विवरण के अनुसार 2020-21 से 2022-23 के दौरान संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान को दर्शा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वर्ष के दौरान रिक्त पदों को न भरने, भारत सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृति न मिलने और अंतिम तिमाही में व्यय को कुल व्यय के 30 प्रतिशत के भीतर सीमित रखने की सीमा के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बजट प्रस्ताव पिछले वर्षों के बजट/बचत को ध्यान में रखे बिना अवास्तविक तरीके से बनाए गए थे।

(vi) बचत से अधिक अभ्यर्पण

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-23 के दौरान ₹ 894.72 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 473.62 करोड़ का व्यय किया गया (**तालिका 3.24**)। तथापि, विभागों ने पुनःविनियोग आदेशों के माध्यम से ₹ 460.35 करोड़ अभ्यर्पित कर दिए थे। इसलिए, ₹ 39.25 करोड़ का अतिरिक्त अभ्यर्पण खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

¹⁶ ऑक्सीजन वन (ऑक्सी-वन) दो जिलों में निर्दिष्ट क्षेत्र (180 एकड़) के लिए वन क्षेत्र/हरित गलियारे के निर्माण की एक योजना है।

तालिका 3.24: उन योजनाओं का विवरण जिनमें अभ्यर्पण के बाद मूल प्रावधान से अधिक राशि शामिल थी

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	बचत से अधिक अभ्यर्पित राशि
1	2	3	4	5	6 = 4-5
पी-01-10-2401-51-108-81-51-एन-वी- प्रौद्योगिकी की योजना (गन्ना मिशन)	150.00	85.04	64.96	93.36	28.40
पी-01-10-2401-51-109-99-51-आर-वी- कृषि प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार	88.57	75.81	12.76	13.20	0.44
पी-02-10-2401-51-109-80-51-आर-वी- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की योजना	200.00	53.46	146.54	146.90	0.36
पी-01-10-2401-51-113-82-51-आर-वी- फसल अवशेष प्रबंधन योजना	100.00	31.17	68.83	72.87	4.04
पी-01-10-2401-51-119-65-51-आर-वी- हरियाणा राज्य में एकीकृत बागवानी विकास योजना	85.00	70.87	14.13	17.15	3.02
पी-01-10-2401-51-119-97-51-आर-वी- हरियाणा में विभिन्न बागवानी गतिविधियों की योजना	83.40	64.13	19.27	19.68	0.41
पी-02-10-2401-51-789-97-51-आर-वी- अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की योजना	30.00	15.43	14.57	15.02	0.45
पी-01-10-2406-01-070-97-51-आर-वी- संचार और भवन	5.00	3.61	1.39	1.70	0.31
पी-01-10-2406-02-110-93-51-आर-वी- बहुउपयोगी क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण	8.50	5.74	2.76	3.48	0.72
पी-01-10-2406-02-800-98-51-आर-वी- चिड़ियाघर और हिरण पार्क का विस्तार	7.00	5.49	1.51	1.95	0.44
पी-01-10-2406-04-103-96-51-आर-वी- वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	137.25	62.87	74.38	75.04	0.66
कुल	894.72	473.62	421.10	460.35	39.25

वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि विभाग ने बचत के अनुसार निधियां अभ्यर्पित की थी, लेकिन वित्त विभाग के पुनःविनियोग आदेश में अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से अधिक दर्शाई गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा वित्त विभाग के पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2023 के माध्यम से निधियां अभ्यर्पित की गई थी जबकि वित्त विभाग द्वारा पुनःविनियोग आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि निधियां संशोधित अनुमानों के विरुद्ध बचत से अभ्यर्पित की गई थी, न कि मूल बजट अनुमानों के विरुद्ध।

(vii) व्यय की अधिकता

दो चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 942.09 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 550.98 करोड़ (58 प्रतिशत) का व्यय (₹ एक करोड़ से अधिक तथा 40 प्रतिशत से अधिक) 20 योजनाओं के अंतर्गत वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया। आगे, माह (मार्च 2023) के दौरान ₹ 160.40 करोड़ (17 प्रतिशत) का व्यय किया गया जैसा कि **तालिका 3.25** में बताया गया है।

तालिका 3.25: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत चयनित दो विभागों में व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल व्यय	पिछली तिमाही के दौरान व्यय (प्रतिशत में)	मार्च 2023 के दौरान व्यय (प्रतिशत में)
1	2401-51-105-96 गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की योजना	3.50	1.48 (42)	1.06 (30)
2	2401-51-108-80 हरियाणा राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने की योजना	7.93	5.56 (70)	0.19 (2)
3	2401-51-109-93 कृषि विस्तार अवसरचना को मजबूत करने की योजना	26.96	12.34 (46)	3.86 (14)
4	2401-51-111-90 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	416.39	238.66 (57)	2.18 (1)
5	2401-51-113-82 फसल अवशेषों के प्रबंधन की योजना	31.17	22.24 (71)	5.34 (17)
6	2401-51-119-54 बागवानी किसानों को फार्म पर एवं विपणन सहायता	59.86	25.60 (43)	10.00 (17)
7	2401-51-119-65 हरियाणा राज्य में एकीकृत बागवानी विकास की योजना	70.87	41.97 (59)	12.22 (17)
8	2401-51-190-99 हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना	20.30	10.30 (51)	10.30 (51)
9	2401-51-789-89 कृषकों के समूह एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु योजना	19.80	19.80 (100)	19.80 (100)
10	2401-51-789-98 अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना	7.00	4.56 (65)	1.25 (18)
11	2402-51-101-97 राज्य में एकीकृत जलग्रहण विकास एवं प्रबंधन परियोजना की योजना	55.91	25.63 (46)	8.22 (15)
12	2402-51-102-86-99 राज्य में लवणीय मृदा एवं जल भराव भूमि के सुधार हेतु पायलट प्रोजेक्ट योजना	14.04	6.55 (47)	5.01 (36)
13	2402-51-102-87 सड़कों पर पेड़ों की गणना और पेड़ों की शाखाओं की कटाई	11.16	10.03 (90)	7.15 (64)
14	2402-51-102-90 प्रशिक्षण के लिए जलग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण, विशेष स्थलों का वनीकरण	4.68	3.98 (85)	3.95 (84)
15	2406-01-101-97 वनों की सुरक्षा	11.00	10.35 (94)	10.05 (91)
16	2406-01-102-71 हर्बल नेचर पार्क	7.33	5.31 (72)	2.49 (34)
17	2406-01-800-99 नहरी जल के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभारों का भुगतान	7.74	7.23 (93)	7.26 (94)
18	2406-04-103-96 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	62.87	41.46 (66)	17.73 (28)
19	2406-04-103-99 प्रतिपूरक वनरोपण	71.61	32.59 (46)	7.01 (10)
20	4401-51-113-97 कृषि/बागवानी कार्यालय भवन के निर्माण का नाम बदलकर पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण/खरीद की योजना कर दिया गया	31.97	25.34 (79)	25.33 (79)
	कुल	942.09	550.98 (58)	160.40 (17)

वन एवं वन्यजीव विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि व्यय पिछली तिमाही में किया गया था जबकि वित्त विभाग द्वारा अंतिम तिमाही और मार्च 2023 में बिलों को संस्वीकृति दे दी गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि कई गतिविधियां वित्तीय वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में की गईं लेकिन बिलों के सत्यापन और प्रोसेसिंग के कारण व्यय केवल अंतिम तिमाही में ही किया जा सका।

(ix) सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई पैसा तब तक न निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। कार्य, जिसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरित करना अनुमन्य नहीं है।

वर्ष 2022-23 के लिए चयनित मंडलीय वन कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि चार योजनाओं में चार मंडलीय वन अधिकारियों के बैंक खातों में ₹ 2.31 करोड़ की निधियां पड़ी हुई थी, जैसा कि तालिका 3.26 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.26: निधियों का उपयोग न होने को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मंडलीय वन अधिकारी	बैंक खाता नंबर	31 मार्च 2023 को शेष
1	नगर वन योजना	करनाल	110085006660	0.13
		मोरनी (पिंजौर)	110085401743	0.83
2	सीएएमपीए	जींद	50100382666880	0.14
		फरीदाबाद	120002449747	0.28
3	ग्रामीण मिशन	मोरनी (पिंजौर)	24880100014016	0.71
4	शिवालिक विकास एजेंसी		067010100505956	0.22
कुल				2.31

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकुला निदेशालय के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया था कि विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे 22 बैंक खातों में ₹ 370.61 करोड़ की राशि पड़ी हुई थी।

इन 22 बैंक खातों में से एक बैंक खाते (एचडीएफसी 50100284310855-सेंट्रल नोडल अकाउंट) में "फसल अवशेष प्रबंधन योजना" के लिए 1 अप्रैल 2022 से 9 अगस्त 2022 तक ₹ 82.22 करोड़ का न्यूनतम शेष और 11 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक ₹ 226.84 करोड़ का न्यूनतम शेष अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण इस अवधि के दौरान निधि की पार्किंग हुई।

आगे, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए मानवतावादी एवं समग्र कल्याण-आधारित दृष्टिकोण तैयार करने और अपनाने के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को लागू करके हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण का मुख्य कार्य भूमिहीन किसानों और उनके परिवारों सहित किसानों के कल्याण के संबंध में नीतिगत निर्णय लेना है।

इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की सुदृढ़ीकरण की योजना" नामक एक योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः ₹ 200 करोड़ और ₹ 85 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन अगस्त 2022 तक कोई व्यय नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने वित्त विभाग से व्यय करने के उद्देश्य से अनुदान सहायता के अंतर्गत ₹ 45 करोड़ की निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (जून 2022)। वित्त विभाग ने अनुदान सहायता के अंतर्गत ₹ 28.98 करोड़ का बजट आबंटित (अगस्त 2022) किया। प्राधिकरण ने ₹ 28.98 करोड़ में से ₹ 2.20 करोड़ की निधि की मांग की (अगस्त 2022) और विभाग ने प्राधिकरण को ₹ 2.20 करोड़ जारी किए। ₹ 45 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2.33 करोड़ का व्यय किया गया। प्राधिकरण का 98 प्रतिशत व्यय वेतन एवं अन्य प्रशासनिक खर्चों अर्थात् पीओएल, कार की खरीद, भवन नवीकरण आदि पर किया गया था और प्राधिकरण की गतिविधियों पर केवल दो प्रतिशत खर्च किया गया था।

इसके अलावा, प्राधिकरण के बैंक खाते में ₹ 1.05 करोड़ अभी भी (31 मार्च 2023) पड़े थे, जिससे पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 2.33 करोड़ का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था।

निधियों के आहरण और बैंक खाते में उनके प्रतिधारण के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों से जुड़ी प्राथमिकता वाली मदों पर व्यय आस्थगित/वंचित हो गया।

संबंधित मंडलीय वन अधिकारियों और निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से निधियों के उपयोग न होने/पार्किंग का कारण मांगा गया (जून/जुलाई 2023)। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2023)।

(x) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के कार्यालय में राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 10.71 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से, राज्य वन विकास एजेंसी ने सूचित किया कि ₹ 3.85 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखा एवं हकदारी कार्यालय के पास जमा कराए गए थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 6.86 करोड़ की शेष राशि और 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए ₹ 18.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने शेष थे।

विभाग ने बताया (अगस्त 2023) कि भारत सरकार द्वारा अनुदान का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण, ₹ 6.86 करोड़ की अव्ययित राशि (अर्जित ब्याज सहित) खाते में पड़ी हुई थी और अव्ययित राशि को आनुपातिक आधार पर केंद्र/राज्य सरकार को वापस करने की कार्रवाई की जा रही थी।

(xi) प्रतीक्षित विस्तृत आकस्मिक बिल

पंजाब खजाना नियम और सहायक खजाना नियम (वॉल्यूम-1) के नियम 4.49(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक बिल तैयार किए जाते हैं उसके अनुवर्ती आगामी माह के अंत तक विस्तृत आकस्मिक बिल जमा किए जाने अपेक्षित होते हैं।

- वन एवं वन्यजीव विभाग के तीन कार्यालयों से संबंधित ₹ दो लाख की राशि के तीन संक्षिप्त आकस्मिक बिलों, जो जून 2019 से अक्टूबर 2022 के दौरान आहरित किए गए थे, के लिए विस्तृत आकस्मिक बिल 15 जून 2023 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का विवरण **तालिका 3.27** में दिया गया है।

तालिका 3.27: लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वाउचर नंबर	संक्षिप्त आकस्मिक बिल का प्रस्तुतीकरण	राशि (₹ लाख में)
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला	2406	94	जून 2019	1.00
2	जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पिंजौर	2406	154	अगस्त 2022	0.70
2	मंडलीय वन अधिकारी, वन मंडल, सोनीपत	2406	7	अक्टूबर 2022	0.30
कुल					2.00

- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तीन कार्यालयों से संबंधित ₹ 13.97 लाख की राशि के तीन संक्षिप्त आकस्मिक बिलों, जो अगस्त 2020 से दिसंबर 2022 के दौरान आहरित किए गए थे, के लिए 2022-23 के दौरान विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किए गए/देरी से प्रस्तुत किए गए थे। इन संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का विवरण तालिका 3.28 में दिया गया है।

तालिका 3.28: लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वाउचर नंबर	संक्षिप्त आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने की तिथि/ विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने की तिथि	राशि (₹ लाख में)	विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण की तिथि	30 जून 2023 तक विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में देरी (दिनों में)
1	मृदा परीक्षण अधिकारी, टोहाना	2401	175	31 अगस्त 2020/ 30 सितंबर 2021	11.50	प्रस्तुत नहीं किए गए	1,003
2	संयुक्त कृषि निदेशक (मृदा परीक्षण), करनाल	2402	71	22 अक्टूबर 2021/ 21 नवंबर 2021	2.37	6 जून 2023	562
3	निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण, पंचकुला	2401	286	16 दिसंबर 2022/ 15 जनवरी 2023	0.10	28 जून 2023	164
कुल					13.97		

तीन विस्तृत आकस्मिक बिलों में से दो विस्तृत आकस्मिक बिल 164 से 562 दिनों के मध्य की देरी से प्रस्तुत किए गए थे, जबकि एक मामले में, ₹ 11.50 लाख का विस्तृत आकस्मिक बिल 1,003 दिन बीत जाने के बाद भी 28 जून 2023 तक विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, क्रम संख्या 3 पर दर्शाए गए विस्तृत आकस्मिक बिल को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर समायोजित किया गया था।

(xii) वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खातों का संचालन

निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि आठ बैंक खाते वित्त विभाग, हरियाणा की संस्वीकृति के बिना संचालित किए जा रहे थे, जो वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था। 31 मार्च 2023 तक, इन आठ खातों में ₹ 71.53 करोड़ की बड़ी राशि पड़ी हुई थी, जैसा कि परिशिष्ट 3.19 में विवरण दिया गया है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जून 2023), लेकिन उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2023)।

3.5.2 अनुदान संख्या 19 की समीक्षा

अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत कार्यात्मक शीर्षों के अधीन आबंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/अधिशेष की समग्र स्थिति **तालिका 3.29** में दी गई है।

तालिका 3.29: अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व	दत्तमत	9,714.30	876.63	10,590.93	10,060.93	(-) 530.00 (5)
पूंजीगत	दत्तमत	4,256.50	30.00	4,286.50	2,154.20	(-) 2,132.30 (50)
	प्रभारित	60.00	0	60.00	4.38	(-) 55.62 (93)
कुल योग		14,030.80	906.63	14,937.43	12,219.51	(-) 2,717.92 (18)

उपर्युक्त अनुदान संख्या 19 से, दो विभागों अर्थात (i) ऊर्जा एवं विद्युत विभाग और (ii) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को आगे की समीक्षा के लिए चुना गया था।

पांच मुख्य शीर्ष अर्थात 2801-विद्युत, 2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय और 4810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय ऊर्जा एवं विद्युत विभाग से संबंधित हैं और आठ मुख्य शीर्ष अर्थात 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2705-कमांड क्षेत्र विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं जिसमें वर्ष 2022-23 के दौरान इन विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए चयनित दो विभागों के कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति **तालिका 3.30** में दी गई है।

तालिका 3.30: चयनित विभागों का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग						
2020-21	राजस्व (दत्तमत)	2,654.68	0	2,654.68	1,521.67	(-) 1,133.01 (43)
	पूँजीगत (दत्तमत)	2,155.87	0	2,155.87	1,327.45	(-) 828.42 (38)
	पूँजीगत (प्रभारित)	150.00	0	150.00	33.20	(-) 116.80 (78)
	कुल	4,960.55	0.00	4,960.55	2,882.32	(-) 2,078.23 (42)
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	3,066.14	15.00	3,081.14	2,034.93	(-) 1,046.21 (34)
	पूँजीगत (दत्तमत)	1,915.02	0	1,915.02	1,759.41	(-) 155.61 (8)
	पूँजीगत (प्रभारित)	100.00	0	100.00	15.36	(-) 84.64 (85)
	कुल	5,081.16	15.00	5,096.16	3,809.70	(-) 1,286.46 (25)
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	2,687.78	200	2,887.78	2,407.19	(-) 480.59 (17)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,388.66	0	3,388.66	2,136.68	(-) 1,251.98 (37)
	पूँजीगत (प्रभारित)	60.00	0	60.00	4.38	(-) 55.62 (93)
	कुल	6,136.44	200.00	6,336.44	4,548.25	(-) 1,788.19 (28)
ऊर्जा एवं विद्युत विभाग						
2020-21	राजस्व (दत्तमत)	6,710.29	997.02	7,707.31	5,810.91	(-) 1,896.40 (25)
	पूँजीगत (दत्तमत)	785.85	0	785.85	550.09	(-) 235.76 (30)
	कुल	7,496.14	997.02	8,493.16	6,361.00	(-) 2,132.16 (25)
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	6,452.78	2894.81	9,347.59	7,143.61	(-) 2,203.98 (24)
	पूँजीगत (दत्तमत)	763.41	0	763.41	10.41	(-) 753.00 (99)
	कुल	7,216.19	2,894.81	10,111.00	7,154.02	(-) 2,956.98 (29)
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	6,481.77	546.62	7,028.39	7,095.42	67.03 (1)
	पूँजीगत (दत्तमत)	847.83	0	847.83	8.00	(-) 839.83 (99)
	कुल	7,329.60	546.62	7,876.22	7,103.42	(-) 772.80 (10)

यह देखा गया था कि 2020-21 से 2022-23 के वित्तीय वर्षों के दौरान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में बचत ₹ 1,286.46 करोड़ और ₹ 2,078.23 करोड़ के मध्य और ऊर्जा एवं विद्युत विभाग में ₹ 772.80 करोड़ और ₹ 2,956.98 करोड़ के मध्य थी। इसी अवधि के दौरान उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 25 से 42 प्रतिशत के मध्य और ऊर्जा एवं विद्युत विभाग में 10 से 29 प्रतिशत के मध्य थी। कुछ योजनाएं जिनमें बचत हुई वे इस प्रकार थी:

- **गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया:** ₹ 504.12 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध, केवल ₹ 128.86 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹ 375.26 करोड़ (74.44 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत का मुख्य कारण यह था कि लक्ष्य के अनुरूप विभिन्न तालाबों के विकास का कार्य तकनीकी/साइट संबंधी मुद्दों के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल का कार्यान्वयन:** ₹ 509.60 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 340 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 169.60 करोड़ (33.28 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत मुख्यतः भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण हुई।

- **राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना:** ₹ 400 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 297.91 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 102.09 करोड़ (25.52 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।
- **निष्पादन से जुड़ा परिव्यय:** सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में निष्पादन से जुड़े परिव्यय से संबंधित ₹ 500 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया और विभाग द्वारा प्रावधान को सरेंडर नहीं किया गया।
- **सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश:** ₹ 767.83 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ऊर्जा एवं विद्युत विभाग से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में इक्विटी पूंजी के लिए सरकार द्वारा केवल ₹ आठ करोड़ जारी किए गए थे। तथापि, ₹ आठ करोड़ में से ₹ चार करोड़ की राशि 2021-22 से संबंधित थी। इस प्रकार, ₹ 759.83 करोड़ (98.96 प्रतिशत) की बचत मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में कम निवेश के कारण हुई।

यह वास्तविक वित्तीय योजना की कमी और कमजोर वित्तीय नियंत्रण का संकेत देता है। विभाग ने पंजाब बजट मैनुअल और वित्त विभाग में निर्धारित बजटीय नियंत्रणों की अनदेखी की और राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास उद्देश्यों के लिए निधियों की कमी हुई।

(ii) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया

अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि नौ योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 183.50 करोड़ का बजट प्रावधान वर्ष (2022-23) के अंत में अप्रयुक्त रह गया (बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ से अधिक) जैसा कि **तालिका 3.31** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.31: अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	संपूर्ण प्रावधान सरेंडर करने का कारण
1	2700-80-190-94-51 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	2.00	अनुरक्षण योजना के अंतर्गत कार्यों की कम संस्वीकृति के कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
2.	2702-03-103-96-51 भूजल के विकास के लिए विभिन्न अवसंरचना का संचालन एवं रखरखाव	5.00	अनुरक्षण योजना के अंतर्गत कार्यों की कम संस्वीकृति के कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
3.	4700-11-800-97-51 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लिए बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)	8.00	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के कार्यान्वयन के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से मांग प्राप्त न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
4.	4700-15-800-97-51 बी.एम.एल.-हांसी शाखा-बुटाना शाखा बहुउद्देशीय लिंक चैनल	1.00	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में रखे गए सांकेतिक प्रावधान का उपयोग न हो पाने के कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	संपूर्ण प्रावधान सरेंडर करने का कारण
5.	4701-80-800-95-51 पुनर्वास और मौजूदा नहर नेटवर्क, जल मार्गों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए वित्त आयोग की सिफारिश	87.50	भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का सरेंडर हुआ
6.	4810-51-101-99-99-राज्य में गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना	5.00	आपूर्ति एवं निपटान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के टेंडर/दर अनुबंध को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
7.	5425-51-600-98-51-अंबाला कैंट में साइंस सेंटर की स्थापना	25.00	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के साथ निविदा/दर अनुबंध को अंतिम रूप न देने के कारण संपूर्ण प्रावधान का सरेंडर हुआ।
8.	5425-51-600-99-51-सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना	50.00	भूमि खरीद सौदे को अंतिम रूप न देने के कारण पूरा प्रावधान सरेंडर करना पड़ा।
	कुल	183.50	

उपर्युक्त योजनाओं के लिए किए गए बजट के पूरे प्रावधान को अंततः पुनःविनियोग किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। आगे, यह भी देखा गया कि उपर्युक्त आठ योजनाओं में से दो योजनाएं (क्रमांक 4 और 8) पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में लागू नहीं की गईं।

(iii) निधियों का अधिक/अवास्तविक पुनःविनियोग

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 2,560.99 करोड़ की वास्तविक बचत में से ₹ 2,431.30 करोड़ की राशि दो चयनित विभागों के पुनःविनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 129.69 करोड़ का सरेंडर नहीं हुआ।

आठ मामलों में, पुनःविनियोग के माध्यम से प्रावधानों में कमी अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों से कम था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.90 करोड़ की निधियां अनभ्यर्पित रह गईं। छः मामलों में, निधियों का पुनःविनियोग अधिक सिद्ध हुआ, क्योंकि अभ्यर्पित निधि वास्तविक बचत से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 112.93 करोड़ का अतिरिक्त सरेंडर हुआ। दो मामलों में, ₹ 9.76 करोड़ का पुनःविनियोग अवास्तविक सिद्ध हुआ, क्योंकि ₹ 3.85 करोड़ का वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक था।

इसके अलावा, दो मामलों में ₹ 18.43 करोड़ की निधियों की वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और पुनःविनियोग आदेशों के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था। इस प्रकार, कुछ मामलों में निधियों का पुनःविनियोग या तो अनुचित था या अत्यधिक था।

अवास्तविक, अत्यधिक एवं अपर्याप्त पुनःविनियोग मामलों का विवरण **चार्ट 3.8** में दिया गया है।

चार्ट 3.8: अवास्तविक, अधिक और अपर्याप्त पुनःविनियोग मामले



स्रोत: विनियोग लेखे

(iv) अवास्तविक बजटिंग और निधियों का पुनःआबंटन

2020-23 की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि छः मामलों में निधियों को एक योजना से अन्य योजनाओं में पुनः आबंटित किया गया था, जैसा कि तालिका 3.32 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.32: अवास्तविक बजट को दर्शाने वाले मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अधिक अवास्तविक बजट प्रावधान वाली योजना का नाम	योजना का नाम जिसके लिए निधियां पुनःआबंटित की गईं	पुनःआबंटित निधियां
2020-21			
1.	पी-01-24-2700-80-190-96-51-एन-वी- गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया (बजट: ₹ 1,002 करोड़, व्यय: ₹ 6.46 करोड़)	पी-01-24-2700-80-800-95-51-एन-वी- नहर और नालों पर पुलों और संरचना का संचालन और रखरखाव (बजट: ₹ 2.50 करोड़, व्यय: ₹ 0.86 करोड़)	50.00
2021-22			
2.	पी-01-24-2700-80-190-96-51-एन-वी- गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया (बजट: ₹ 802 करोड़, व्यय: ₹ 128.52 करोड़)	पी-01-24-2700-02-101-97-51-एन-वी- ऊर्जा प्रभार (बजट: ₹ 50 करोड़, व्यय: ₹ 101.25 करोड़)	55.00 ¹⁷
3.		पी-01-24-2700-80-800-95-51-एन-वी- नहर और नालों पर पुलों और संरचना का संचालन और रखरखाव (बजट: ₹ 2.50 करोड़, व्यय: ₹ 2.96 करोड़)	10.00
2022-23			
4.	पी-01-24-2700-80-190-96-51-एन-वी- गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया (बजट: ₹ 504.12 करोड़, व्यय: ₹ 128.86 करोड़)	पी-01-24-2700-04-800-98-51-एन-वी- ऊर्जा प्रभार (बजट: ₹ 48 करोड़, व्यय: ₹ 49.04 करोड़)	7.20
5.		पी-01-24-2701-08-101-97-51-एन-वी- ऊर्जा प्रभार (बजट: ₹ 13.75 करोड़, व्यय: ₹ 13.79 करोड़)	1.75
6.		पी-01-24-2701-10-101-97-51-एन-वी- ऊर्जा प्रभार (बजट: ₹ 17 करोड़, व्यय: ₹ 16.47 करोड़)	3.00

एक योजना से दूसरी योजना में निधियां पुनः आबंटित करने के छः प्रस्तावों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 2020-23 की अवधि के दौरान, '2700-80-190-96-51-एन-वी-ग्राम तालाबों का विकास योजना का नाम बदलकर तालाबों का विकास/जीर्णोद्धार कर दिया गया'

17

10 जनवरी 2022 को ₹ 30 करोड़ और 28 फरवरी 2022 को ₹ 25 करोड़।

योजना में बजट प्रावधान किया गया था, लेकिन इसी अवधि के दौरान व्यय एक से 26 प्रतिशत के मध्य किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि इस योजना से अन्य योजनाओं में निधियों का पुनःआबंटन 2020-23 की अवधि के दौरान किया गया था, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे और साथ ही निधियों के पुनःआबंटन के प्रस्ताव भी वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

- क्रम संख्या 1 और 6 में, किसी अन्य योजना से निधियां पुनःआबंटित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था।
- क्रम संख्या 2 से 5 में, निधियों की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध अधिक निधियां पुनःआबंटित की गई थी।

इस प्रकार, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना एक योजना से दूसरी योजना में निधियों का अनावश्यक पुनःआबंटन किया गया था।

(v) अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में मुख्य शीर्ष 2705 के अंतर्गत ₹ 746.52 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 665.39 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 200 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि 31 मार्च 2023 को पुनःविनियोग के माध्यम से ₹ 265.53 करोड़ का अभ्यर्पण कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मुख्य मद में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से काफी कम था। इस प्रकार, वास्तविक आवश्यकता का आकलन एवं मूल्यांकन किए बिना ₹ 200 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया।

(vi) व्यय की अधिकता

चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 26 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 8,806.21 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 4,686.97 करोड़ (53 प्रतिशत) का व्यय (₹ एक करोड़ से अधिक तथा 40 प्रतिशत से अधिक) वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था। इसके अलावा, ₹ 1,585.98 करोड़ (18 प्रतिशत) का व्यय माह (मार्च 2023) के दौरान किया गया था जैसा कि **तालिका 3.33** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.33: अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत चयनित दो विभागों में व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय		
		कुल	अंतिम तिमाही के दौरान (प्रतिशत में)	मार्च 2023 के दौरान (प्रतिशत में)
1	2700-02-101-97 ऊर्जा प्रभार	102.09	51.63 (51)	10.22 (10)
2	2701-10-101-98 अन्य रखरखाव कार्य	2.58	1.13 (44)	0.54 (21)
3	2705-51-188-99 सूक्ष्म सिंचाई निधि के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज की वृद्धि के लिए संसाधन जुटाना	124.99	94.99 (76)	58.99 (47)
4	2705-51-190-94 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन-प्रति फसल अधिक फसल	340.00	176.80 (52)	176.80 (52)
5	2705-51-190-95 नहर क्षेत्र हेतु क्षेत्र विकास कार्यक्रम	190.00	112.75 (59)	50.00 (26)
6	2705-51-789-97 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति फसल अधिक फसल का कार्यान्वयन (एससीएसपी)	10.40	10.40 (100)	10.40 (100)
7	2801-05-190-95-98 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	1.10	1.10 (100)	0.57 (52)
8	2801-05-190-98 घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती टैरिफ के लिए सब्सिडी	483.00	483.00 (100)	-
9	2801-05-800-99 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता	6,280.07	3,071.74 (49)	871.69 (14)
10	2810-51-101-98 राज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना	297.91	172.97 (58)	113.62 (38)
11	2810-51-190-99 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहायक कार्यक्रम	2.00	1.10 (55)	1.10 (55)
12	4700-13-800-98 नहर नेटवर्क के नहर पुनर्वास का निर्माण	214.21	94.72 (44)	51.21 (24)
13	4700-80-190-97 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) के लिए राज्य के पूंजीगत हिस्से का अंशदान	66.21	66.21 (100)	63.57 (96)
14	4700-80-800-97 नहरों एवं नालों पर पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण	150.72	68.64 (46)	31.90 (21)
15	4701-07-789-99 राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए आरआईडीएफ (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार	141.51	65.34 (46)	44.60 (32)
16	4701-07-800-97 नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई	66.63	30.12 (45)	21.64 (32)
17	4701-07-800-98 नाबार्ड-नहर का निर्माण	169.87	76.15 (45)	53.50 (32)
18	4701-25-800-99 सिंचाई प्रयोजन के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति शाखाएं	103.22	42.59 (41)	17.61 (17)
19	4701-80-052-99 संस्थागत सुदृढीकरण डेटा संग्रह, आदि।	2.74	2.74 (100)	2.74 (100)
20	4701-80-800-98 न्यायालय आदेशों के अंतर्गत बड़े हुए भूमि मुआवजे का भुगतान	4.38	2.27 (52)	1.83 (42)
21	4702-51-102-98 भूजल और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास की योजना	1.95	1.95 (100)	0.81 (41)
22	4711-01-789-99 राज्य में अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा, बहाली एवं आपदा प्रबंधन	50.63	50.63 (100)	2.64 (5)
	कुल	8,806.21	4,678.97 (53)	1,585.98 (18)

इस प्रकार, अंतिम तिमाही विशेषकर मार्च माह में व्यय करना विभाग के अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.6 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजटीय प्रणाली ठीक नहीं थी, क्योंकि 2022-23 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान और विनियोग का 84 प्रतिशत था। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि 24 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 20 अनुदानों में से

आठ अनुदानों में बचत 20 प्रतिशत से अधिक थी। राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत सात अनुदानों और पूंजीगत दत्तमत भाग के अंतर्गत 10 अनुदानों में पिछले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक की सतत बचत हुई थी।

वर्ष 2019-22 से संबंधित ₹ 238.79 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी भी संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना बाकी है। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता आदि से संबंधित 26 प्रमुख नीतिगत घोषणाओं में ₹ 13,761.57 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 10,711.87 करोड़ (78 प्रतिशत) का व्यय था। कुल 26 योजनाओं में से नौ योजनाओं में बजट प्रावधान से 50 प्रतिशत से कम व्यय हुआ और एक योजना में बजट प्रावधान से अधिक व्यय हुआ।

वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी। नौ अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 21 शीर्षों में 2022-23 के दौरान कुल व्यय का 30 प्रतिशत मार्च 2023 में किया गया था।

3.7 सिफारिशें

1. सरकार बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए वास्तविक बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।
2. सरकार अनुपूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन पर विचार करे और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
3. सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाने पर विचार करे।
4. राज्य सरकार व्यय करने के लिए तिमाही-वार प्रतिशतता सीमा का अनुपालन करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करने पर विचार करे।